न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रार्थना पत्र संख्या 101/2019

चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं राज. जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर जरिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: आदेश ::–

दिनांक :– 14.08.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 ई छोटी के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 50 में 5.249 हैक. तथा खाता संख्या 44/41 के मुरबा नम्बर 37 में 3.794 हैक. वर्तमान जमाबंदी में जिला चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट श्रीगंगानगर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्तमान समय में उक्त प्रश्नगत भूमि पर जिला चिकित्सालय स्थापित एवं संचालित है जो पिछले काफी वर्षों से संचालित है। प्रश्नगत सम्पत्ति पर जिला चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट का कोई अस्तित्व नहीं है तथा न ही कोई ऐसा ट्रस्ट अस्तित्व में है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2068–71 में प्रश्नगत भूमि जिला चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट श्रीगंगानगर के नाम गलतीवश लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज हो गई है। जो संधारण योग्य है। वर्तमान जमाबंदी में जिला चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट के नाम जो प्रश्नगत भूमि दर्ज है उसे संशोधित कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज की जाना न्याय हित में आवश्यक है अर्थात वर्तमान जमाबंदी में जिला चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट श्रीगंगानगर का नाम संशोधित किया जाकर प्रश्नगत भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज किया जावे। उक्त संशोधन लिपिकीय त्रुटि है जिसका संशोधन किया जाना आवश्यक है एवं उक्त संशोधन से किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 50 में दर्ज 5.249 हैक. व खाता संख्या 44/41 के मुरब्बा नम्बर 37 में दर्ज 3.794 हैक. भूमि जो कि वर्तमान जमाबंदी में जिला चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट श्रीगंगानगर के नाम दर्ज है को संशोधित कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर के द्वारा दिनांक 13.08.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र स्वयं प्रमाणिकरण सहित प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

किया गया, एवं जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो स्टेट को कोई ऐतराज नहीं है।

प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगागनर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगागनर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 50 में दर्ज 5.249 हैक. व खाता संख्या 44/41 के मुरब्बा नम्बर 37 में दर्ज 3.794 हैक. भूमि जो कि वर्तमान जमाबंदी में जिला चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट श्रीगंगानगर के नाम दर्ज है को संशोधित कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 14.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर